बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

।। आदेश ।।

अपर सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग के वाट्सअप पर प्राप्त सूचना के आलोक में आदेश ज्ञापांक–2675, दिनांक–15.05.2025 से मुंगेर जिलान्तर्गत अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण के विरूद्ध समुचित एवं सघन जाँच हेतु विशेष कार्य पदाधिकारी, खान एवं भूतत्व विभाग को निदेशित किया गया। जाँच पदाधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षणोपरान्त अवैध खनन एवं परिवहन के संदर्भ में जाँच कर जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि मुंगेर जिलान्तर्गत प्रखण्ड–जमालपुर, पंचायत–इटहरी, वार्ड नं0–18, एन0एच0 के पूरब में हो रहे अवैध खनन में खान निरीक्षक की भूमिका से इंकार नहीं किया जा सकता है।

जाँच पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में मो0 राशिद एनाम, तत्कालीन खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, मुंगेर के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर उनसे पत्रांक–4252, दिनांक–05.08.2025 से लिखित अभिकथन की मांग की गयी। विभागीय पत्र के आलोक में मो0 राशिद एनाम द्वारा दिनांक–31.10.2025 को लिखित अभिकथन समर्पित किया गया। जाँच प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय पत्रांक–2970, दिनांक–29.05.2025 से समाहर्त्ता, मुंगेर से भी प्रतिवेदन की मांग की गयी। समाहर्त्ता, मुंगेर द्वारा पत्रांक–1280, दिनांक–03.06.2025 से प्रतिवेदित किया गया कि पूरे मामले में खान निरीक्षक की किसी भी प्रकार की संलिप्तता परीलक्षित नहीं होती है।

समाहर्त्ता, मुंगेर से प्राप्त प्रतिवेदन एवं मो0 राशिद एनाम, खान निरीक्षक द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन की समीक्षा सक्षम प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरान्त सक्षम प्राधिकार द्वारा आरोप से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

अतः सक्षम प्राधिकार के निर्णयानुसार मो0 राशिद एनाम, तत्कालीन खान निरीक्षक, मुंगेर सम्प्रति जिला खनन कार्यालय, शिवहर के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप से मुक्त किया जाता है।

ह0/–
(भारत भूषण प्रसाद)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– प्र0–II अरा0(आ0)–10/2025–................/एम०, पटना, दिनांक–................

प्रतिलिपिः– समाहर्त्ता, मुंगेर/उप निदेशक, मुंगेर अंचल, मुंगेर/खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, मुंगेर/ मो0 राशिद एनाम, तत्कालीन खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, मुंगेर सम्प्रति जिला खनन कार्यालय, शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– प्र0–II अरा0(आ0)–10/2025–7262/एम०, पटना, दिनांक–24/11/25

प्रतिलिपिः– सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक कोषांग/राजपत्रित (खान निरीक्षक) स्थापना शाखा/आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ प्रेषित।

24/11/25

सरकार के अपर सचिव